कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौ० वि० वि०, कानपुर–2

पत्रांक : सीएसयूडब्लू– 189 /2017 दिनांक जुलाई 11, 2017

कुटेशन / विज्ञप्ति

इस विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक सत्र 2017–18 प्रारम्भ हो चुका है। जिसमें प्रवेश पाने वाले एवं अध्यनरत छात्र / छात्राओ के एक वर्षीय दुर्घटना बीमा एवं मेडीक्लेम को लागू किया जाना है, जिसके लिये प्रतिष्ठित बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम किस्त एवं छात्र / छात्राओ को अनुमन्य सुविधाओ के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी कोटेशन सील बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को दिनांक 17.07.2017 तक प्रेषित किया जाना है।

अन्य नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार होगी

1. बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म छात्रा / छात्राओ से दो प्रतियो में भराये जायेंगे जिसकी एक प्रति सम्बन्धित फर्म को तथा एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में रिकार्ड हेतु रखी जायेगी। कम्पनी द्वारा कम्प्यूटराइज्ड विवरण पंजीकरण के दूसरे दिन अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय मे देना अनिवार्य होगा।
2. पंजीकरण के दूसरे दिन सम्बन्धित फर्म / कम्पनी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी।
3. पंजीकरण के दिन सांयकाल 3:30 बजे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण रूप से तैयार की गयी सूची के अनुसार छात्रों द्वारा जमा की गयी धनराशि की चेक व फार्म की एक प्रति बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को उपलब्ध करा दी जायेगी। तत्पश्चात छात्रो का छात्र दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम लागू हो जायेगा तथा यदि तत्काल ही किसी प्रकार की दुर्घटना होती है या छात्र / छात्रा बीमार पड़ता है, तो छात्र को कम्पनी द्वारा लाभ देय होगा।
4. छात्र / छात्राओ को मिलने वाली धनराशि, दुर्घटना बीमा एवं मेंडीक्लेम का संचालन कानपुर एवं लखीमपुर प्रांगण के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण कानपुर तथा बाबा भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा प्रांगण का संचालन सह–अधिष्ठाता छात्र कल्याण, द्वारा सम्पादित किया जायेगा। यह योजना प्रत्येक संकाय कृषि, वानिकी, एग्री बिजनेश मैनंजमेंट, हार्टीकल्चर गृह विज्ञान कानपुर एवं कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, इटावा में चल रहे सभी पाठ्यक्रमों हेतु समान रूप से लागू होगी तथा प्रत्येक छात्र की डिग्री पूर्ण होने तक अबाध्य रूप से लागू रहेगी।
5. बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक छात्र / छात्रा को मेंडीक्लेम कार्ड पंजीकरण के उपरान्त अधिकतम 15 दिनो के अन्दर ही प्रदान करना अनिवार्य होगा।
6. बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक सप्ताह अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय आ कर छात्र / छात्राओ की मेंडीक्लेम सम्बन्धी कार्य की जानकारी लेना अनिवार्य होगा।

(पी० के० उपाध्याय)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

प्रतिलिपि :

1. कुलसचिव।
2. प्रभारी, एकेएमयू को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
3. कुलपति के तकनीकी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(पी० के० उपाध्याय)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण